216

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दिनांक 16.11.2017 को आयोजित 11वीं बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति– अनुलग्नक 'I' पर ।

2. प्राधिकरण की दिनांक 06.09.2017 को आयोजित 10वीं बैठक में अनुमोदित कार्य सूची के कतिपय बिन्दुओं पर विचार नहीं हो सका था। अविचारित बिन्दुओं पर विचारार्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष–सह–माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आयोजित 11वीं बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :–

एजेंडा संख्या 1 : विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति

क्र0सं0	विभाग	पूर्व का निर्णय	अनुपालन प्रतिवेदन	बैठक के दौरान प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति	अद्यतन निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	परिवहन विभाग	पटना एवं राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक पार्कों की स्थापना–8वीं बैठक (दिनांक 28.02.2014)–एजेंडा–9(घ) (ज) एवं 9वीं बैठक (दिनांक 28.03.2015)–एजेंडा – 5 (V)	परिवहन विभागीय पत्रांक 1422 दिनांक 26.03.2015 द्वारा सूचित किया गया था कि पटना शहर में ट्रैफिक पार्क की स्थापना हेतु नगर विकास विभाग को भूमि उपलब्ध कराने का विभाग ने अनुरोध किया है। अन्य शहरों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है।	नगर विकास विभाग द्वारा पटना में अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।	निदेश दिया गया कि परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर पटना एवं अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक पार्क की स्थापना के लिए अग्रेतर कार्रवाई शीघ्रता से करे।
2	जल संसाधन विभाग	1. बाढ़ प्रबंधन सहायक केन्द्र अनीसाबाद में पूर्वानुमान प्रणाली का विकास–6वीं बैठक (दिनांक 8.5.2012) –क्रमांक –4	जल संसाधन विभाग के पत्रांक 211 दिनांक 3.05.2016 के अनुसार Pilot Project के रूप में बागमती–अधवारा बेसिन के लिए Flood Forecast एवं Inundation Modeling का कार्य शुरू किया गया। तदनुसार ढेंग पुल से हायाघाट तक 72 घंटे lead time के साथ बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है, परंतु पूर्वानुमान की सत्यता अपेक्षित प्रतिशत से कम है। फलतः उक्त मॉडल को बेहतर वर्षा पूर्वानुमान आदि के ऑकड़े प्राप्त कर अपेक्षित स्तर तक विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।	जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान के संदर्भ में अद्यतन प्रगति का विवरण दिया गया और बताया गया कि इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्य हो रहा है।	अनुपालित

217

		2. फरक्का बराज के निर्माण के कारण गंगा नदी पर प्रभाव एवं आधारित जनसंख्या की जीविका पर प्रभाव पर Water and Power Consultancy Organization (WAPCOS) द्वारा कराये जा रहे अध्ययन की रिपोर्ट/स्थिति– 9वीं बैठक (दिनांक 28.03.2015) एजेंडा–7(1)	जल संसाधन विभाग के पत्रांक 211 दिनांक 03.5.2016 के अनुसार WAPCOS द्वारा दिये गए अध्ययन रिपोर्ट से जल संसाधन विभाग संतुष्ट नहीं है।	–	अनुपालित
3	पुलिस महानिदेशक, बिहार	आपदा की स्थिति हेतु पुलिस थानों का सुदृढ़ीकरण एवं पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण (बिपार्ड के माध्यम से) –5 वीं बैठक दिनांक 25.6.2011 एजेंडा–7(2)	पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) के पत्रांक 5581 दिनांक 12.7.2017 द्वारा अनुपालन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।	पुलिस महानिदेशक द्वारा बताया गया कि आपदाओं के उन्मुखीकरण के बिन्दु पर 42 पुलिस पदाधिकारियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। साथ ही इन मास्टर ट्रेनर द्वारा अब जिलों में सिपाहियों/होम गार्ड के जवानों को प्रशिक्षित किये जाने का निदेश जिलों को दिया गया है।	अनुपालित
4	महानिदेशक, बिपार्ड	बाढ़/भूकम्प एवं सूखे से निपटने के उपायों को बिपार्ड के प्रशिक्षण माडयूल में शामिल किया जाना– 5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011)– एजेंडा 7(4)	महानिदेशक बिपार्ड के पत्रांक 258 दिनांक 08.03.2017 द्वारा अनुपालन की सूचना प्राप्त है।	–	अनुपालित
5	शिक्षा विभाग	1. शिक्षण संस्थानों (स्कूल/कॉलेजों इत्यादि) में Electronic & Print Media का प्रभावकारी इस्तेमाल (आपदा प्रबंधन के संबंध में जन--जागरूकता)– 5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011)– एजेंडा–7(9)	अप्राप्त	शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों में 'इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया' के प्रभावकारी इस्तेमाल के बिन्दु को "मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम" (MSSP) में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया।	पूर्व निर्णय के स्थान पर शिक्षा विभाग के इस नए प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी ।
		2. आपदा प्रबंधन विषय को पाठ्यक्रम (सातवीं एवं आठवीं) में शामिल करना–5वीं बैठक (दिनांक–25.6.2011) एजेंडा–6	अप्राप्त	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।	अनुपालित

(216)

		3. शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी भवनों की रिट्रोफिटिंग हेतु प्राधिकरण स्तर पर कार्रवाई–9वीं बैठक दिनांक 28.3.2015 एजेंडा–5 (ii)	मधुबनी एवं अररिया जिलों के 400 स्कूल भवनों का Rapid Visual Screening (RVS) प्राधिकरण द्वारा कराया गया है, तदनुसार शिक्षा विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु परामर्श दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त "राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (NSSP)" के अंतर्गत मधुबनी जिलें में 2 तथा अररिया जिले में 1 स्कूल की Retrofitting हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Ltd. (BSEIDC) को राशि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। कार्य प्रगति पर है।	शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूल भवनों के रेट्रोफिटिंग के संबंध में विभाग द्वारा यह बताया गया कि उन्हें इस संबंध में प्राधिकरण से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।	निदेश दिया गया कि विद्यालय भवनों के प्राधिकरण द्वारा कराए गए RVS के आधार पर दिए गए परामर्श के अनुसार शिक्षा विभाग अग्रेतर कार्रवाई करे।
		4. प्रत्येक वर्ष स्कूल सुरक्षा के महत्व के आलोक में जागरूकता/मॉकड्रिल कार्यक्रम का आयोजन–5वीं बैठक (दिनांक 25.6.2011)–एजेंडा–5.4	राज्य के सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में लिए गए निर्णय के अनुसार अब इस कार्यक्रम का विस्तार Safe Saturday के रूप में प्राधिकरण एवं शिक्षा विभाग द्वारा किए जाने पर कार्य चल रहा है।	–	अनुपालित
6	सूचना एवं जन–संपर्क विभाग	बिहार डायरी में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी/नारे का मुद्रण–9वीं बैठक दिनांक 28.3.2015 एजेंडा–7 (5)	प्राधिकरण के पत्रांक 1520 दिनांक 30.11.2015 के द्वारा नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त 238 नारे सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजे जा चुके हैं, लेकिन वर्ष 2016 एवं 2017 की बिहार डायरी में उनका मुद्रण नहीं हो सका है।	–	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को चयनित नारों के बिहार डायरी, 2018 में मुद्रण का आदेश दिया गया ।
7	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	विकास के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु	विभागीय पत्रांक 150 दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि नागरिक परिषद् की	–	निदेश दिया गया कि इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं

		उन्हें नागरिक कमेटी में नामित किया जाना–5वीं बैंठक (दिनांक 25.6.2011) एजेंडा–5(7)	कमेटियों का गठन अभी तक नहीं हो सका है।		बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समन्वय के साथ इस पर फिर से विचार करें और संयुक्त रूप से इस निर्णय पर पहुँचें कि इसे नये रूप में कैसे लागू किया जाय क्योंकि नागरिक परिषद् के गठन का पूर्व का कॉन्सेप्ट अब औचित्यपूर्ण नहीं रह गया है। इस संबंध में आगे क्या करना है, कैसे करना है, आदि बातों पर पुनः नये तरीके से विचार कर कार्य किया जाये। यह भी निदेश दिया गया कि संबंधित विभागों द्वारा इस संदर्भ में विचारोपरांत किसी ठोस निर्णय पर पहुँचा जाए।
8	गृह विभाग	Revamping of fire services within the jurisdiction of urban local bodies (13वें वित्त विभाग की अनुशंसा सं0 10.171 का क्रियान्वयन) 7वीं बैठक दिनांक 24.5.2013 एजेंडा–6(V)	राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक के पत्रांक–2471 दिनांक 12.7.2017 के द्वारा क्रियान्वयन संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है।	शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधीन अग्निशाम सेवा के विस्तार एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में महानिदेशक, अग्निशाम सेवाएँ द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जिला स्तर पर संगठन सुदृढ़ किया जा रहा है और गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 13 नये अग्निशमन स्टेशनों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे प्रमंडलीय शहरों में स्थापित किया जा रहा है। अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंसलटेन्ट की नियुक्ति होने की बात भी महानिदेशक द्वारा बतायी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि 250 थानों एवं 28 अनुमंडलीय शहरों में अग्निशमन गाड़ियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। ऑनलाईन	अनुपालित

217

				अनापत्ति प्रमाण–पत्र की व्यवस्था के संबंध में महानिदेशक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में नगर विकास विभाग के साथ मिलकर साफ्टवेयर डेवलपमेंट की कार्रवाई की जा रही है।	
9	नगर विकास एवं आवास विभाग	Building Bylaws and Town & Country Planning Bylaws में आवश्यक संशोधन–5वीं बैठक दिनांक 25.6.2011 5 (1) (9वीं बैठक का एजेंडा–5(1))	प्राप्त सूचना के अनुसार नया Building Bylaws बिहार भवन उपविधि 2014 लागू किया जा चुका है। उपविधि में प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित भवनों के भूकम्परोधी निर्माण संबंधी मार्गदर्शिका को Appendix के रूप में समाहित कर लिया गया है।	प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने बताया कि नये National Building Code, 2016 एवं Energy Conservation Building Code, 2017 के आलोक में "Bihar Building By-laws" में अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों को समावेशित करने के बिन्दु पर नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।	अनुपालित
10	भवन निर्माण विभाग	सरकारी भवनों के रेट्रोफिटिंग हेतु एक अंचल एवं चार कार्य प्रमंडलों का सृजन कर आवश्यक अभियंताओं एवं कर्मियों की नियुक्ति – 9वीं बैठक (दिनांक 28.3.2015) एजेंडा–5(i)/8 वीं बैठक (दिनांक 28.02.2014)–एजेंडा–5	विभागीय पत्रांक भवन/स्था0– 02–विविध–947/2016 2508 (भ) अनु0 दिनांक 25.03.2017 के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में पद सृजन संबंधी प्रस्ताव वापस लिए जाने संबंधी जानकारी प्राप्त हुयी थी।	सरकारी भवनों के रेट्रोफिटिंग हेतु एक अंचल एवं चार कार्य प्रमंडलों के गठन एवं इस हेतु अभियंताओं आदि के पद सृजन हो जाने की बात भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बताते हुए कहा गया कि तत्काल इन नवसृजित पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त अभियंताओं के पदस्थापन की अधिसूचना शीघ्र निर्गत कर दी जायेगी।	अनुपालित
11	सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।	जिला, पंचायत, थाना स्तर पर आपदा से बचाव हेतु जन जागरूकता/जन शिक्षा के तहत गोष्ठी/Mock Drills का आयोजन–7वीं बैठक दिनांक 24.5.2013 एजेंडा–6(1)	विभिन्न जिलों में NDRF/SDRF के माध्यम से जन–जागरूकता/ Mock Drills के कार्य कई वर्षों से किए जा रहे है। यह सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी।	–	अनुपालित

12	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	1. कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP)-5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा– 2(iii)	इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा Sensitization Workshop करके कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP) बनाने की शुरुआत करायी गयी। 9 विभागों से कार्यालय आपदा योजना (ODMP) प्राप्त भी हुए। इस प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि विभिन्न विभागों में कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP) विकसित करने की क्षमता का अभाव है। अतः इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने की जरुरत है, जो कि विभिन्न विभागों के लिए कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ODMP) बनाने के साथ–साथ विभागों का क्षमता निर्माण भी करेंगे।	प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किये गये "कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना" (Office Disaster Management Plan, ODMP), के कार्यान्वयन हेतु योग्य एजेंसी के चयन के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने की बात उपाध्यक्ष द्वारा बतायी गई।	–
		2. सभी प्रमंडलों में आपदा प्रबंधन के संबंध में कार्यशाला–5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा– 2(v)	जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) के निर्माण की प्रक्रिया में सभी प्रमंडलों सहित सभी जिला मुख्यालयों में आपदा प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।	–	अनुपालित
		3. Seismological Observations Network की स्थापना–5 वीं बैठक (25.06.2011)एजेंडा–5(5), 6 वीं बैठक (08.05.2012) एजेंडा–5(iii)	इस परियोजना के अंतर्गत National Centre for Seismology (Min. of Earth Sciences, GoI) द्वारा Ground Noise Survey का कार्य कराया गया था जिसके आधार पर 10 Field Stations तथा एक Central Receiving Station का चयन कर लिया गया है। इनमें से 4 Field Stations का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। निर्माण कार्य भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया जा रहा है। इस नेटवर्क के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 18 पद स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें प्रथम चरण में निदेशक (वैज्ञानिक E) एवं वरीय वरीय वैज्ञानिक (वैज्ञानिक D)	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि शेष भवनों के निर्माण का कार्य निगम द्वारा प्रारंभ कराया जा रहा है। वैज्ञानिक E एवं D की नियुक्ति के उपरांत Seismological Equipments के अधिष्ठापन हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी ताकि भवनों के पूर्ण होते जाने पर Equipments का अधिष्ठापन होता जाए।	–

			की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।		
		4. बाढ़ एवं भूकम्प के संबंध में चेतना रथ निकालने हेतु–5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा–5(6)	बाढ़ एवं भूकम्प सुरक्षा से संबंधित जन–जागरूकता के कई कार्यक्रम राज्य भर में किए जा रहे हैं। ऐसे में चेतना रथ निकालने की आवश्यकता नहीं रह जाती।	"सड़क सुरक्षा" के तहत प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे जन जागरुकता के कार्यक्रमों की बात उपाध्यक्ष द्वारा विस्तार से रखी गई। प्राधिकरण द्वारा नुक्कड़ नाटक, मोटर साईकिल रैली, पम्फलेट/बुकलेट के वितरण आदि के माध्यम से आम जन को सड़क सुरक्षा के विविध आयामों से परिचित कराते हुए उन्हें जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।	निर्णय लिया गया कि जन–जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हुए चेतना रथ निकालने की आवश्यकता अब नहीं रह जाती ।
		5. आपदा प्रशमन निधि–5 वीं0 बैठक (25.06.2011) एजेंडा–5(10)	आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं0 4904 दिनांक 06.11.2013 द्वारा निधि गठित कर दी गयी है तथा इस निधि में मुख्य मंत्री आपदा राहत कोष से 05 करोड़ की राशि प्राप्त है। निधि का उपयोग नियमावली के अनुसार किया जा रहा है।	–	अनुपालित
		6. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान (BSIDM) की स्थापना एवं उसके परिसर में भूकम्प/बाढ़/सुखाड़ इत्यादि के Centre of Excellence की स्थापना–5 वीं बैठक (25.06.2011) एजेंडा– 7.1		"बिहार राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान" (BSIDM) की स्थापना एवं इसके परिसर में भूकम्प/बाढ़/सुखाड़ आदि के लिए "सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस" की स्थापना के संदर्भ में आवश्यक कॉन्सेप्ट नोट प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे जाने की बात उपाध्यक्ष द्वारा बताई गई। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस कॉन्सेप्ट नोट की जॉच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कही गई ।	–
		7. Free Earthquake Safety Clinic–6वीं बैठक (08.05.2012) एजेंडा– 5	NIT में स्थापित	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि NIT पटना में स्थापित "Free Earthquake Safety Clinic" की तर्ज पर DRR रोड मैप के आलोक में इस वर्ष MIT मुजफ्फरपुर एवं पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी में भी "Earthquake Safety	अनुपालित

				Clinic" स्थापित करने की योजना है।	
		8. DRR विशेषज्ञों का सभी DDMA/नगर पालिका/ निकाय में पदस्थापन हेतु DRR Cadre का गठन–6वीं बैठक (08.05.2012) एजेंडा–5 (i),7वीं बैठक एजेंडा–6(v), 9वीं बैठक एजेंडा–5(viii)	प्रथम चरण में राज्य के सभी 38 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणां में DRR Cadre के गठन के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सरकार की स्वीकृति हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को संचिका सं0–1/2 स्था0/प्रा0–10/2017 द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2017 को भेजा गया है।	राज्य के सभी 38 जिलों में DRR कैडर के गठन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित प्रस्ताव की जॉच प्रक्रियाधीन होने की बात आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बतायी गई।	अलग कैडर के गठन के बिन्दु पर असहमति व्यक्त की गई और निदेश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग राज्य के सभी 38 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए उप समाहर्त्ताओं के नए पद स्वीकृत करे, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
		9. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा योजना (MSSP)– 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा– 5, 8 वीं बैठक एजेंडा– 8, 9 वीं बैठक एजेंडा 5 (iv)	अनुपालित	उक्त निर्णय के संबंध में किये गए कार्यों का विस्तृत विवरण शिक्षा विभाग (क्र0सं0–5) की कंडिका के अंतर्गत दिया गया है।	अनुपालित
		10. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर मुख्यालय, जिला, प्रखंड स्तर पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन–7 वीं बैठक (24.05. 2013) एजेंडा 6 (i)	अभी तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नहीं कराया जा सका है।	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि DRR हेतु राज्य में विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस परिस्थिति में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती।	निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्णय के अनुपालन की अब आवश्यकता नहीं है।
		11. बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का राज्य में आयोजन–7 वीं बैठक (24.05. 2013) एजेंडा 6 (ii)	प्रत्येक वर्ष जून माह में राज्य के सभी 38 जिलों एवं मुख्यालय पटना में "बाढ़ सुरक्षा सप्ताह" का अयोजन किया जा रहा है।	–	अनुपालित
		12. Satellite based flood Insurance cover - 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (ii)	प्राधिकरण के स्तर से इस कार्य को नहीं किया जा सकता। सहकारिता विभाग द्वारा Crop Insurance के संबंध में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अतएव उक्त योजना में इसे समाहित करने पर सहकारिता विभाग विचार कर सकता है।	–	निर्णय लिया गया कि सहकारिता विभाग Crop Insurance के प्रचलित नियमों के आलोक में पूर्व निर्णय को लागू करने/न करने के बिन्दु पर विचार करे।
		13. भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का राज्य में आयोजन –7 वीं बैठक (24.05. 2013) एजेंडा 6 (iii)	प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में राज्य के सभी 38 जिलों एवं मुख्यालय पटना में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में भूकम्प	–	अनुपालित

			सुरक्षा सप्ताह के दौरान पटना में मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, PMCH, विश्वेश्वरैया भवन, सिंचाई भवन तथा दो अपार्टमेंटस में Mockdrill का अभ्यास कराया गया है।		
		14. बिहार राज्य में सुरक्षित भवनों के निरुपण एवं निर्माण हेतु मार्गदर्शिका/परिपत्र का प्रकाशन एवं वितरण–7 वीं बैठक (24.05. 2013) एजेंडा 6 (iii)	इस कार्य को पूर्ण किया जा चुका है। मार्गदर्शिका के प्रकाशन एवं वितरित करने की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है।	–	अनुपालित
		15. अग्नि सुरक्षा सप्ताह एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह–7 वीं बैठक (24.05. 2013) एजेंडा 6 (iv)	इन दोनों सप्ताहों का आयोजन सरकार के संबंधित विभागों तथा अन्य हितभागियों (Stakeholders) के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है।	–	अनुपालित
		16. बिहार प्रशासनिक सेवा के सचिवालय एवं राज्य मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास'पर प्रशिक्षण- 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v)	बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकायों का प्रशिक्षण बिपार्ड में प्रारंभ किया गया था। प्राप्त feedback एवं आवश्यकताओं का आकलन कर इस प्रशिक्षण को संशोधित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जाने की योजना है।	प्राधिकरण द्वारा बिपार्ड के सहयोग से बिहार प्रशासनिक/पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास के प्रशिक्षण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।	प्रशिक्षण जारी रखने का निदेश दिया गया।
		17. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों को पूर्ण रुप देने हेतु सरकारी संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों/स्वयं सेवी संगठन/ यू0एन0 की विभिन्न एजेंसियों, शोध संस्थानों से समन्वय की स्थापना-7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v)	प्राधिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों में विविध संगठनों/संस्थानों/यू0एन0 की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।	–	अनुपालित
		18. DDMA Guidelines-7 वीं बैठक (24.05.2013)एजेंडा 6 (v)	DDMAs के सुदृढ़ीकरण एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए DDMA Guidelines का निर्माण किया जा रहा है। Draft तैयार है, जिसे अंतिम रुप देने की कार्रवाई शीघ्र ही कर ली जाएगी।	–	प्रारूप को शीघ्र अंतिम रूप देने का निदेश दिया गया।
		19. Revised Flood Hazard Atlas का	राज्य के 28 बाढ़ प्रवण जिलों के लिए	प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि 2012	अनुपालित

		Mainstreaming of DRR एवं विकास की विभिन्न योजनाओं में उपयोग-7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v)	प्राधिकरण द्वारा NRSC (National Remote Sensing Centre), हैदराबाद के सहायोग से Flood Hazard Atlas तैयार कर उसकी एक–एक प्रति सभी 38 जिलों एवं संबंधित विभागों भेजी गयी है।	तक के बाढ की स्थिति को शामिल कर तैयार किये गये Flood Hazard Atlas को वर्ष 2017 तक की बाढ़ की स्थिति के अनुसार अपडेट करने की कार्रवाई हेतु National Remote Sensing Centre हैदराबाद से संपर्क किया जा रहा है।	
		20. Bihar State Disaster Management Institute at Patna के लिए जमीन का आवंटन – 7 वीं बैठक (24.05.2013) एजेंडा 6 (v) 8 वीं बैठक एजेंडा–10, 9 वीं बैठक एजेंडा– 5 (vi)	जमीन आवंटन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर कार्रवाई हो रही है।	Bihar State Disaster Management Insitute, Patna की स्थापना/इसके लिए कर्मियों आदि की व्यवस्था हो जाने पर तत्काल संस्थान को किसी सरकारी भवन अथवा किराये के भवन में प्रारम्भ किये जाने के बिन्दु पर बैठक के दौरान चर्चा हुई।	संस्थान की स्थापना के उपरांत जमीन की व्यवस्था हेतु विचार किया जाएगा।
		21. प्राधिकरण अंतर्गत सलाहकार समितियाँ–8 वीं बैठक(28.02.2014) एजेंडा 9 (ज)	प्राधिकरण द्वारा 5 सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है। ये सलाहकार समितियाँ भूकंप, बाढ़, मानव जनित आपदा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा मानव संसाधन विकास, क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में गठित की गयी हैं।	प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा मानव संसाधन विकास, क्षमतावर्द्धन एवं प्राशिक्षण आदि के तथ्यों पर अन्य संबंधित विभागों/ एजेंसियों से सलाह करने एवं उनके विचारों को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समाविष्ट करने के उदेश्य से गठित सलाहकार समितियों का गठन ।	समितियों के पुनर्गठन का निदेश दिया गया ।
		22. City Disaster Management Plan (CDMP) –9 वीं बैठक (28. 03.2015) एजेंडा 7 (2)	प्राधिकरण द्वारा सभी 11 नगर निगमों वाले शहरों में CDMP निर्माण हेतु एजेन्सियों के चयन कर कार्य प्रारंभ किया गया है। एजेन्सियों के चयन के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूरा कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।	10वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में "नगरीय आपदा प्रबंधन योजना(City Disaster Management Plan, CDMP)"के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 12 नगर निगम वाले शहरों के लिए "नगरीय आपदा प्रबंधन योजना" (CDMP) निर्माण हेतु सक्षम एजेंसी के चयन के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है एवं अब निविदा के तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है।	आगे की कार्रवाई जारी रखने का निदेश दिया गया।

एजेंडा संख्या 2 : प्राधिकरण के वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति (विवरण परिशिष्ट पर)

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय	कार्यान्वयन विभाग/एजेंसी
1	वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित बजट ₹31,92,86,000/–की स्वीकृति (बजटीय उपबंध+ आकस्मिकता निधि/द्वितीय अनुपूरक के अंतर्गत प्रस्तावित राशि)	विज्ञापन मद की प्रावधानित राशि ₹85,75,247/–घटाकर शेष राशि ₹31,07,10,753/–की स्वीकृति प्रदान की गयी।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग।
2	वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट ₹39,26,00,000/– की स्वीकृति	विज्ञापन मद की प्रावधानित राशि ₹2,13,90,000/–घटाकर शेष राशि ₹37,12,10,000/–की स्वीकृति प्रदान की गयी।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग/वित्त विभाग।
3		1. इसी क्रम में निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्षों के विज्ञापन मद में लंबित विपत्रों का भुगतान सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के बजट से किया जाएगा। अतएव प्राधिकरण सभी लंबित विपत्रों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भुगतान हेतु उपलब्ध करावे।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
		2. यह भी निर्णय लिया गया कि अब से प्राधिकरण के सभी विज्ञापन/एडवाइजरी आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रकाशनार्थ भेजे जाऐंगे। इन विज्ञापनों/एडवाईजरी के प्रकाशन संबंधी विपत्रों के भुगतान हेतु सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग सीधे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को आवश्यक निधि उपलब्ध कराएगा।	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/आपदा प्रबंधन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

एजेंडा संख्या 3 : **बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) के अनुसरण में अगले 2–3 वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण ।**

निर्णय :– प्रस्तुतीकरण स्थगित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने निदेश दिया कि प्रस्तुतीकरण हिन्दी में तैयार हो तथा उसमें प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दावली (acronyms) के स्थान पर पूरी शब्दावली अंकित हो ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तुतीकरण हेतु अलग से तिथि/समय निर्धारित की जाएगी।

एजेंडा संख्या 4 : **बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) के अनुसरण में विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा–आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा।**

निर्णय :– स्थगित। एजेंडा 3 में लिए निर्णय के अनुसार भविष्य में समीक्षा की जाएगी।

एजेंडा संख्या 5 : अन्यान्य

क्र0	प्रस्ताव	निर्णय	कार्यान्वयन विभाग/एजेन्सी
1	राज्य सरकार के निदेशानुसार प्राधिकरण द्वारा भूकम्परोधी निर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत सभी अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार अभियंताओं आदि की प्रतिनियुक्ति में विभागों द्वारा प्रायः विलंब कर दिया जाता है एवं कतिप्य प्रतिनियुक्त अभियंता भी प्रशिक्षण में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित हो जाते हैं। इससे प्रशिक्षण सत्र सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हो जाती है। अतएव सभी विभागों को निदेशित किया जा सकता है कि वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार ससमय प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया करें एवं प्रतिनियुक्त अभियंताओं की प्रशिक्षण सत्रों में ससमय उपस्थिति सुनिश्चित किया करें।	माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष ने सभी कार्य विभागों को प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार अभियंताओं की ससमय प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु निदेशित किया। साथ ही प्राधिकरण को निदेशित किया कि प्रशिक्षणों में अनुपस्थित हो जाने वाले अभियंताओं की सूचना संबंधित कार्य विभागों को उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।	सभी कार्य विभाग/ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अंत में बैठक की कार्यवाही सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंत भवन, द्वितीय तल, पटना–1

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित बजट की विवरणी–

Sl. No.	Name of Plan	Budget 2018-19
1	**31-04 Grants-in-Aid (Salary)**	**131,23,000.00**
2	**31-05 Grants-in-Aid (Assets Creation)**	**442,00,000.00**
3	**31-06 Grants-in-Aid (Other than Salary)**	
(1)	**Work Plan**	
A.	**Policy Plan Interventions**	
(i)	Departmental Disaster Management Plan for all departments of the State Governme nt	**132,00,000.00**
(ii)	Office Disaster Management Plan of headquarter office of Govt. departments.	**352,00,000.00**
(iii)	Technical Assistance to DDMAs in preparation of Village Disaster Management Plans (VDMPs) (Group A districts as per DRR Roadmap)	**50,00,000.00**
(iv)	Completion of District Disaster Management Plan of all districts.	**38,00,000.00**
(v)	City Disaster Management Plan of Patna / Muzaffarpur / Bhagalpur / Gaya / Bihar shareef	**77,00,000.00**
(vi)	Technical Assistance in preparation of Natural Animal Disaster Management Plan	**7,00,000.00**
B.	**Traning & Capacity Building Programmes**	
(i)	Engineers / Architects / Masons Training on Earthquake Resistant Construction.	**1060,00,000.00**
(ii)	Capacity building of Responders for Disaster Risk Reduction and Management	**3,00,000.00**
(iii)	Training of BAS & BPS Officers on DRR	**52,00,000.00**
(iv)	Training of other Stakeholders	**23,00,000.00**
C.	**Mitigation and DRR Measures**	
(i)	Technical advice for disaster resistant constructions / retrofitting of schools and government buildings.	**7,00,000.00**
(ii)	Technical support to various departments / Education /Agencies as per DRR Roadmap.	**2,50,000.00**
(iii)	Formulation and technical support in the implementation of "Safe Saturday"under MukhyaMantri School Safety Programme (MMSp) in collaboration with Education Department.	**56,00,000.00**

Sl. No.	Name of Plan	Budget 2018-19
(iv)	Disaster Management Information System - State Disaster Resource Network (SDRN)	4,50,000.00
(v)	Implementation of activities assigned to BSDMA under DRR Roadmap	26,55,000.00
(vi)	Technical Support to the Stakeholders for mitigation of adverse impacts of cyclonic storms /flood/fire etc.	2,50,000.00
D.	**Action Plans & Guidelines Preparation and Implementation**	
(i)	Earthquake Safety	2,50,000.00
(ii)	Road Safety and other human induced disasters	12,70,000.00
(iii)	Fire Safety	10,00,000.00
(iv)	Action Plan for prevention /Mitigation of Drowning incidents	8,55,000.00
(v)	Lightning Action Plan	10,00,000.00
(vi)	Action Plan for prevention /Mitigation of Boat Capsizing incidents	24,60,975.00
(vii)	Action Plan to mitigate climate change induced disasters	55,00,000.00
(viii)	Heat Waves Action Plan	43,90,000.00
(ix)	Cold Waves Action Plan	15,05,000.00
(x)	Crowd management	1,90,000.00
E.	**Awarness Programmes**	
(i)	Road Safety Week	1,20,000.00
(ii)	Earthquake Safety Week	10,00,000.00
(iii)	Fire Safety Week	10,00,000.00
(iv)	Flood Safety Week	10,00,000.00
(v)	Awareness stalls in Bihar Diwas/Sonepur Mela and other mass gathering events	60,00,000.00
(vi)	Technical support in ongoing School Safety Day and Schools Safety Fortnight	15,00,000.00
(vii)	Study in impact of climate change on Agriculturing and Allied sectors including land water management.	16,05,000.00
F.	**Research & Studies/ Surveys**	
(i)	Strategies on Industrial Safety	4,50,000.00
(ii)	Survey /Study on current status of Pollution (air, water, soil & sound) in Patna, Gaya, Bhagalpur and Muzaffarpur	162,00,000.00
(iii)	Updation of Flood hazard atlas of Bihar	84,00,000.00
(iv)	Study of impacts of successive earthquakes in Bihar	2,00,000.00
G.	**Miscellaneous**	

Sl. No.	Name of Plan	Budget 2018-19
(i)	Regular meeting of advisory committees and creation of SRGs for each division which can meet more frequently throughout the year.	2,00,000.00
(ii)	BSDMA Foundation Day	6,00,000.00
	Total	2460,00,975.00
	Total (1) Say	2460,00,000.00
(2)	**Administrative Expenses:- 31-06**	
(i)	Payment to Contractuals	162,11,484.00
(ii)	Electricity	6,00,000.00
(iii)	Medical Reimbursement	1,20,000.00
(iv)	Advertisement	213,90,000.00
(v)	Publication	372,00,000.00
(vi)	Award/Prize	5,00,000.00
(vii)	Rent/Rate/Taxes	15,00,000.00
(viii)	Telephone	5,00,000.00
(ix)	Travelling Expense	5,20,000.00
(x)	Fuel & maintenance of Vehicle	8,00,000.00
(xi)	Other Office Expenses	100,00,000.00
	Total (2)	893,41,484.00
	31-06 Total (1 + 2)	3353,41,484.00

SUMMARY

Sl. No.	Item	Estimated Expenditure
1	31-04 Grants- In Aid (Salary)	131,23,000.00
2	31-05 Grants- In Aid- (Assets Creation)	442,00,000.00
3	31-06 Grants- In Aid- (Other then Salary)	3353,41,484.00
	Total	3926,64,484.00

NOTE:-

1 Arrear Payment of Advertisement included in the Budget :- 63,90,119.00

2 Arrear Payment of Publication (BTBC) included in the Budget :- 272,00,000.00